



क्रमांक / 1272 / अका. / असम्बद्धता / 2025

रायपुर, दिनांक 09 / 07 / 2025

// आदेश //

विश्वविद्यालय विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 05/06/2025 के बिन्दु क्रमांक-08 में लिए गए निर्णय का कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 10/06/2025 में अनुमोदन पश्चात् शांतीबाई कला, वाणिज्य, विज्ञान महाविद्यालय, महासमुन्द (छ.ग.) में संचालित बी.सी.ए. की कक्षा को परिनियम-27 के कंडिका (9) के अंतर्गत सत्र 2025-26 से असम्बद्ध किया जाता है।

आदेशानुसार,

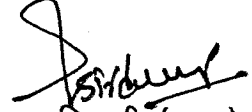

उप-कुलसचिव (अका.)

पृ. क्रमांक / 1273 / अका. / असम्बद्धता / 2025

रायपुर, दिनांक 09 / 07 / 2025

प्रतिलिपि:-

1. आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय, ब्लॉक-सी, द्वितीय/तृतीय तल, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, जिला-रायपुर (छ.ग.) को सादर सूचनार्थ।
2. संचालक, महाविद्यालय विकास परिषद्, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.) को सूचनार्थ।
3. संचालक/प्राचार्य, शांतीबाई कला, वाणिज्य, विज्ञान महाविद्यालय, महासमुन्द (छ.ग.) को सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
4. उप-कुलसचिव परीक्षा/विकास/स.कु.स. नामांकन/गोपनीय/वित्त नियंत्रक, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.) को सूचनार्थ।
5. विभागाध्यक्ष, कम्प्यूटर अध्ययनशाला, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.) को इस निवेदन के साथ कि इसे विश्वविद्यालय के वेबसाईट में सूचना अपलोड करावें।
6. कुलपति के सचिव/कुलसचिव के निज सहायक, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर को सूचनार्थ।


कक्ष अधिकारी (अका.)

